ई–गवर्नेन्स सोसाईटी पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) कण्डाघाट, जिला सोलन के उपयोक्ता प्रभार निधि लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 29.03.2007 से 03/2014

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) कण्डाघाट, जिला सोलन के अवधि 29.03.2007 से 31.03. 2014 के उपयोक्ता प्रभार निधि लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण, इस विभाग के श्रो ललित अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 10.11.14, 11.11.14, 25.11.14, 26.11.14, 27.11.14, 29.12.14, 30.12.14, 31.12.14, 02.01.15 एवं 03.01.2015 कण्डाघाट में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण कण्डाघाट में निम्नलिखित अधिकारियों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री दलीप सिंह नेगी	29.03.07 से 31.10.07
2	श्री एस0सी0 सकलानी	01.11.2007 से 14.05.10
3	कैप्टन आर0के0 शर्मा	15.5.10 से 16.5.11
4	श्री यशपाल शर्मा	16.5.11 से 28.4.12
5	श्री के0सी0 गौड़	30.4.12 से 01.02.13
6	श्री एल0आर0 वर्मा	08.02.13 से 13.6.13
7	श्री एस0एम0 सानी	14.6.13 से अद्यतन तक

(ग) निधि लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नविवरणानुसार मासों का चयन किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2006–07	03/2007	–
2007–08	07/2007	05/2007
2008–09	08/2008	12/2008
2009–10	10/2009	03/2010
2010–11	08/2010	05/2010
2011–12	03/2012	03/2012
2012–13	04/2012	04/2012
2013–14	03/2014	10/2013

(घ) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि

1	6	परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधि से प्राप्त आय के 25 प्रतिशत भाग की राशि को परिवहन विभाग के खाते में कम जमा करना	0.69
2	7	विहित औपचारिकताओं के बिना व्यय करना	1.67
3	8	बिना अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किए क्रय निजि फर्मों से करना तथा सम्बन्धित कार्य भी निजी फर्मो से करवाना	1.33
4	9	बिना अनापति पत्र प्राप्त किए प्रिटिंग कार्य/स्टेशनरी का क्रय हिमाचल प्रदेश प्रिटिंग प्रैस से न करना	0.78
5	10	तहसीलदार एव ंनायब तहसीलदार को अनियमित रूप में मोबाईल प्रभार की प्रतिपूर्ति करना	0.18

(ड) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन ई–गवर्नेन्स सोसाईटी पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण कण्डाघाट के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) कण्डाघाट के अवधि 03/2007 से 03/2014 के उपयोक्ता प्रभार निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹10000/– बनता है। उक्त राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 के नाम भेजेन हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनाँक 03.01.15 द्वारा उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) कण्डाघाट से अनुरोध किया गया। प्राधिकरण द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, कण्डाघाट शाखा के चैक संख्या 578864 दिनाँक 03.01.2015 द्वारा इस विभाग को प्रेषित कर दिया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैन्स प्राधिकरण (आर0एल0ए0) कण्डाघाट द्वारा उपलब्ध करवाई गई प्राधिकरण की उपयोक्ता प्रभार निधि लखों की अंकेक्षणाधीन अवधि में वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
अथशेष	–	200000	17393	37782	40240	58401	159368	326905
आय	200000	92948	118630	141235	162081	207973	197440	219808
ब्याज	–	1925	744	2132	1385	3173	8829	13149

योग	200000	294873	136767	181149	203706	269547	365637	559862
व्यय	–	277480	98985	140909	145305	110179	38732	357435
अन्तिम शेष	200000	17393	37782	40240	58401	159368	326905	202427

उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 31.3.14 को रोकड़ बही अनुसार, अन्तिम शेष	202427
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, कण्डाघाट शाखा के खाता संख्या 65018286339 में दिनाँक 31.03.2014 को जमा राशि	202427
अन्तर	शून्य

नोटः– सोसाईटी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ई–गवर्नेन्स सोसाईटी पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) का आरम्भ, जिला लघु बचत सोलन, जिला सोलन से ऋण स्वरूप ₹200000 प्राप्त करके किया गया था जिसका भुगतान सम्बन्धित संस्था को अंकेक्षणाधीन अवधि में कर दिया गया है।

4 सावधि जमा योजना में राशि निवेश न किए जाने के कारण अतिरिक्त ब्याज आय की ₹28000/– से वंचित होनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण की उपयोक्ता प्रभार निधि की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि दिनाँक 31.03.2014 तक ₹202427/– निधि अन्तशेष के रूप में थी। सोसाईटी द्वारा निधि की राशि बचत खाते में ही जमा करवाई जा रही है तथा प्रत्येक वर्ष इस में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार अधिक्य (अनुपयोगी) राशि पर केवल बचत खाते का ब्याज ही अर्जित किया गया जबकि वर्ष में पाई गई अनुपयोगी/आधिक्य राशि के उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए सावधि बचत खाते में निवेश किया जाना अपेक्षित था जिससे अधिक/अतिरिक्त ब्याज आय की प्राप्ति हो पाती। यदि वर्ष के अन्तिम शेषो के औसतन 75**%** भाग को भी जरूरत के अनुसार सावधि जमा में निवेशित किया गया होता तो निम्न आंकलन के अनसार अतिरिक्त ब्याज के रूप में लगभग ₹28000/– की अतिरिक्त ब्याज के रूप में प्राप्ति हो सकती थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर जाँच करके निधि में एकत्रित राशि का एक समुचित भाग सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि सोसाईटी के अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सके।

क्र0सं0	**वर्ष**	**31 मार्च को अन्तिम शेष**	**75% राशि जो सावधि जमा में निवेश की जा सकती थी (लगभग)**	**5% अतिरिक्त ब्याज की दर से प्राप्त होने वाली आय की हानि (लगभग)**
1	2010—11	58401	43000	2000

2	2011—12	159368	120000	6000
3	2012—13	326905	245000	12500
4	2013—14	202427	150000	7500
			कुल योग	**₹28000**

5 आय एवं व्यय विवरणी तथा तुलन पत्र तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0—एफ (1) 3/2000—ई—गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष आय एवं व्यय विवरणी तथा तुलन पत्र तैयार किया जाना अपेक्षित था परन्तु (आर0एल0ए0) कण्डाघाट द्वारा उक्त अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। अतः नियमों की अनुपालना करते हुए उपयोक्ता प्रभार निधि की प्रत्येक वर्ष की आय एवं व्यय विवरणी एवं तुलन पत्र तैयार किया जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय के 25% भाग की ₹69769/— को परिवहन विभाग के खाते में कम जमा करनाः—

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी—एफ (1)—3/2000—ई—गवर्नेन्स दिनांक 03.09.2005 के नियम 3 (ए) के अनुसार परिवहन विभाग से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियो से प्राप्त कल आय में से 25**%** भाग परिवहन विभाग में चालान द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित था। ई—गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण कण्डाघाट से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 25.11.14 द्वारा अंकेक्षण अवधि में विभिन्न मदों से प्राप्त उपयोक्ता प्रभार का वर्गीकृत विवरण उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया था जोकि उनके द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः वित्तीय स्थिति के अवलोकन में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा उक्त वर्णित नियम के अन्तर्गत उपयोक्ता प्रभार का वांन्छित 25**%** भाग पूर्ण रूप से परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को जमा न करवाते हुए निम्न आंकलन अनुसार ₹69769/— कम जमा करवाई गई है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे प्राधिकरण द्वारा भी अपने स्त्तर पर आवश्यक जाँच के उपरान्त उक्त कम जमा करवाई गई राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	उपयोक्त प्रभार जो वसूल किए गए	25% भाग (परिवहन विभाग में जमा कराने हेतु वाँछित)	राशि जो जमा करवाई गई	बकाया राशि
2007—08	92948	23237	—	23237

2008–09	118630	29658	–	29658
2009–10	141235	35309	–	35309
2010–11	162081	40520	–	40520
2011–12	207973	51993	–	51993
2012–13	197440	49360	–	49360
2013–14	219808	54952	215260	(–) 160308
	1140115	**285029**	**215260**	**69769**

7 विहित औपचारिकताओं के बिना ₹167222/– का व्यय करनाः–

चयनित माहों में वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ₹167222/– की सामग्री का क्रय हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 की अवहेलना करते हुए खुले बाजार से एकल संविदा क आधार पर किया गया। इस प्रकार निविदाएं आमन्त्रित न करने के कारण बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः ₹167222/– की सामग्री का क्रय निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ही किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवान के अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं से परिहार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनाँक	बिल का विवरण	क्रय की गई सामग्री	राशि
08.05.07	बि0सं0 4318 दिनाँक 3.2.07 मै0 जय आर्ट सर्विस सोलन	डिजिटल प्रिटिंड साईन बोर्ड	17645
15.05.07	बि0सं0 5390, दिनांक 28.2.07 मै0 गेलेक्सी मार्केटिंग क0 परवाणु	रोल वायर (LAN)	1643
28.5.07	बि0सं0. 4360 दिनांक 19.3.07 मै0 जय आर्ट सर्विस, सोलन	साईन बोर्ड	1470
27.12.08	बिल संख्या 1961 दिनांक 23.04.08 मै0 ए0एम0 ट्रेडर्स कण्डाघाट	स्टेशनरी सामग्री	1740
27.12.08	बि0सं0 321 दिनाँक 16.7.08 मै0 ई0 टैक्नालॉजी, संजौली	लेमीनेशन मशीन	3100
27.12.08	बि0सं0 320 दिनाँक 16.7.08 मै0 ई–टैक्नोलॉजी, संजौली	स्टेशनरी सामग्री	6050
27.12.08	बि0सं0 1668 दिनांक 1.11.08 अतिन कम्पयूटर जोन कण्डाघाट	एण्टीवायरस	1200
27.12.08	बि0सं0 1754 दिनाँक 24.12.08 अनित कम्पयूटर जोन कण्डाघाट	कम्पयूटर स्टेशनरी	1400

05.04.08	बि0सं0 32642 दिनाँक 1.1.08 मै0 हरी दास एण्ड कम्पनी स्टेशनरी, शिमला	–यथोपरि–	6448
28.06.08	बि0सं0 151 दिनाँक 23.5.08 मै0 ई टेक्नोलॉजी, संजौली	स्टेशनरी	15220
04.10.10	बि0सं0 17 दिनांक 4.10.10 मै0 जय मा कम्पयूटरस कण्डाघाट	प्रिन्टर कारजेट	7100
25.04.12	बि0सं0 25 दिनांक 5.4.12 मै0 शेयल आई0टी0 सोल्यूशनस शिमला–09	प्रिन्टर	13450
15.10.13	बि0सं0 6971 दिनांक 7.10.13 मै0 इमेज कम्पयूनिकेशन सिस्टम बददी, जिला सोलन	फाटोस्टेट मशीन	90756
		योग	**₹167222**

8 बिना अनापति पत्र प्राप्त किए ₹133715/– का कय निजि फर्मों से करना तथा सम्बन्धित कार्य भी निजी फर्मो से करवानाः–

(आर0एल0ए0) कण्डाघाट द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्य निजि फर्मों से करवाया तथा सामग्री का क्रय भी निजि फर्मों से किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनसार यह कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार के प्राधिकृत विभागों/बोर्डों से करवाया जाना अपेक्षित था तथा सामग्री का क्रय भी तदानुसार ही किया जाना अपेक्षित था। परन्तु आर0एल0ए0 कण्डाघाट द्वारा ₹133715/– का कार्य/क्रय सम्बन्धित विभाग/बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/निविदा प्राप्त किए बिना ही अपने स्तर पर निजि फर्मों से करवाया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट को जाए तथा इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न दोहराई जानी भी सुनिश्चित की जाए।

दिनाँक	**बिल का विवरण**	**कार्य/क्रय की गई सामग्री का विवरण**	**राशि**
7.5.07	बि0सं0 607 दिनांक 7.5.07 मै0 विश्वकर्मा फर्नीचर इण्डस्ट्री, सोलन	काउंटर का निर्माण	87750
16.6.07	बि0सं0 10629, दिनांक 08.05.07 मै0 विश्वकर्मा फर्नीचर इण्डस्ट्री, सोलन	रिवालविंग चेयर/रैंक का क्रय	18450
08.05.07	बि0सं0 4318 दिनांक 3.2.07 मै0 जय आर्ट सर्विस सोलन	साईन बोर्ड	17645
20.3.12	बि0सं0 605 दिनांक 20.3.12 मै0 कशिश टैक्नॉलाजी सोलन	ब्रर्दर, प्रिन्टर	9870
		योग	**₹133715**

9 बिना अनापति पत्र प्राप्त किए ₹78487/– का प्रिटिंग कार्य/स्टेशनरी का क्रय हिमाचल प्रदेश प्रिटिंग प्रैस से न करनाः–

नियमानुसार ई–गवर्नेन्स निधि का उपयोग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी वित्तीय नियमों को ध्यान मे ंरखकर ही किया जाना अपेक्षित था जिसके अनुसार ई–गवर्नेन्स निधि से समय–2 पर प्रिटिंग का कार्य व स्टेशनरी का क्रय तथा प्रिटिंग का कार्य हिमाचल प्रदेश प्रिटिंग प्रैस से करवाया जाना अपेक्षित था तथा सरकारी दरो ंका लाभ उठाया जाना अपेक्षित था। यदि यह खरीद/प्रिटिंग का कार्य खुले बाजार से भी किया जाना था तो भी इसके लिए सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा निविदाएं प्राप्त करनी अनिवार्य था, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ₹78487/– का पिटिंग कार्य/स्टेशनरी का क्रय हिमाचल प्रदेश प्रिटिंग प्रैस से न करके खुले बाजार से किया गया एवं सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं प्राप्त किए गए जो कि अनियमित है एवं जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उक्त अनियमितता को नियमित करवाया जाए।

क्र0सं0	**बिल का विवरण**	**क्रय का विवरण**	**राशि**
1	Bill no. 26787 Dt. 02.03.07 M/S Haridass & Co. Stationer Pvt. Ltd. Shimla	Stationery items	7899
2	Bill no. 32642 dt. 01.01.08 M/S Haridass & Co. Stationers Pvt. Ltd. Shimla	-do-	6448
3	Bill no. 320 Dt. 16.07.08 M/S E-Technologes Sanjauli, Shimla	-do-	6050
4	Bill no. 151 Dt. 23.5.08 M/S e-Techndogies, Sanjauli, Shimla	-do-	15220
5	Bill No. 353 dt. 26.2.10 मै0 सूरी प्रिटर्स, सोलन	प्रिटिंग एवं सप्लाई ऑफ फाईल कवर	34715
6	बिल संख्या 362 दिनाँक 8.3.10 मै0 सूरी प्रिटर्स सोलन	–यथोपरि–	3000
7	बिल संख्या 3675, 3668, 3672, 3680, 3684, 3696, 3700 दिनाँक 02.04.2011 मै0 A.M. Traders कण्डाघाट जिला सोलन	स्टेशनरी	5155
		योग	**₹78487**

10 तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को अनियमित रूप ₹18000/– के मोबाईल प्रभार की प्रतिपूर्ति करनाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) कण्डाघाट द्वारा तहसीलदार एव नायब तहसीलदार को ₹500/– प्रतिमाह की दर से मोबाईल प्रभार की प्रतिपूर्ति की जा रही थी परन्तु उक्त भत्ते/मानदेय का भुगतान जिन नियमों के अन्तर्गत किया गया उन्हें स्पष्ट नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.05 के अन्तर्गत भी इस प्रकार का

भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण के दौरान दिनाँक 12.3.2007 को ई–गवर्नेन्स सोसाईटी सोलन की मीटिंग की प्रोसिडिंग प्रस्तुत की गई परन्तु उक्त प्रोसिडिंग के अवलोकन में पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के प्रशासक को ही मोबाईल प्रभार की प्रतिपूर्ति के लिए प्राधिकृत किया गया था। अतः निम्नविवरणानुसार तहसीदार एव नायब तहसीलदार को किए गए ₹18000/– अनियमित मोबाईल प्रभार बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं जिन नियमों के अन्तर्गत यह भुगतान किया गया उन नियमों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके सोसाईटी निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

दिनाँक	माह जिसके लिए भुगतान किया गया	तहसीलदार को अदा की गई राशि	नायब तहसीलदार को अब की गई राशि	कुल भुगतान
15.3.08	02/08	500	–	500
01.05.08	03 & 04/08	1000	–	1000
16.06.08	05/08	500	–	500
21.06.08	05/08	–	500	500
06.08.08	06 & 07/08	1000	1000	2000
18.9.08	8/08	500	500	1000
24.10.08	9 & 10/08	1000	1000	2000
27.12.08	11 & 12/08	1000	1000	2000
18.05.09		–	1000	1000
14.7.09		1000	1000	2000
2.9.09		1000	1000	2000
13.10.09		500	500	1000
9.11.09		500	500	1000
15.12.09		500	500	1000
19.01.10		–	500	500
		9000	**9000**	**18000**

11 आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान वाउचरों को पारित किए बिना ही ₹9542/– का अनियमित भुगतानः–

चयनित मासों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ₹9542/– के बिलों का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित किए बिना ही किया गया है जोकि अनियमित है। अतः भुगतान वाउचरों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित/पारित किए बिना ही भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों के बिलों की भी संस्था द्वारा अपने स्तर पर जाँच करके समस्त बिलों को आहरण एवं वितरण अधिकारी से पारित करवाया जाए ताकि बिलों के दोहरे अधिकारी से

पारित करवाया जाए ताकि बिलों के दोहरे भुगतान की सम्भावना से बचा जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

बिल सं0/दिनाँक	फर्म का नाम	सामग्री का ब्यारा	राशि
26787 दिनांक 02.03.2007	मै0 हरीदास एण्ड क0 स्टेशनरी प्रा0लि0 शिमला	स्टेशनरी सामग्री	7899
5390 दिनाँक 28.2.07	मै0 गेलेक्सी मार्केटिंग क0 परवाणु	रोल वायर	1643
		योग	**9542**

12 सोसाईटी द्वारा ₹189/– का अधिक भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा बिल/वाउचर में वर्णित देय राशि से ₹189/– का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे उचित के जाँच उपरान्त स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अधिक किए गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए इसे प्राधिकरण निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

बिल संख्या/दिनाँक	फर्म का नाम	समग्री का विवरण	देय राशि	राशि जो भुगतान की गई	अधिक भुगतान
4318 दिनांक 03.02.07	मै0 जय आर्ट सर्विस सोलन	साईन बोर्ड	17465	17645	180
607 दिनांक 07. 05.07	मै0 विश्वकर्मा फर्नीचर उद्योग, सोलन	काउन्टर	87750	87759	9
				कुल योग	**₹189**

13 भुगतान से सम्बन्धित पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

निम्न प्रकरणों में सोसाईटी द्वारा किए गए भुगतानों से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्ति रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसके अभाव में भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वास्तविक रसीदों के बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सम्बन्धित रसीदें अब प्राप्त करके उन्हें आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

दिनाँक	बिल का विवरण	भुगतान की राशि
08.05.07	बिल संख्या 4318 दिनांक 3.2.07 मै0 जय आर्ट सर्विस, सोलन	17645
15.05.07	बिल संख्या 5390 दिनांक 28.2.07 मै0 गैलेक्सी मार्केटिंग कम्पनी परवाणु	1643
28.05.07	बिल संख्या 4360 दिनांक 19.3.07 मै0 जय आर्ट सर्विस, सोलन	1470

14.05.10	मै0 ए0एम0 ट्रेडर्स, कण्डाघाट	1760
28.06.08	बिल संख्या 151 दिनांक 23.5.08 मै0 ई टैक्नॉलोजी, संजौली	15220
05.04.08	बिल संख्या 32642 दिनांक 1.1.08 मै0 हरी दास एण्ड कम्पनी शिमला	6448
25.04.12	बिल संख्या 25 दिनांक 5.4.12 मै0 रॉयल आई0टी0 सोलयूशन्स शिमला–9	13450

14 फार्म/नस्तियो के विक्रय से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न करनाः–

(आर0एल0ए0) कण्डाघाट के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा माह 03/10 में ₹37715/– की नस्तियाँ एवं फार्म विक्रय करने हेतु मै0 सुरी प्रिन्टर सोलन से मुद्रित करवाए परन्तु नस्तियों एवं फर्मा के विक्रय से सम्बन्धित अभिलेख तथा स्टोर रजिस्टर का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया था। इन नस्तियों के दनिक विक्रय की प्रविष्टि स्टोर रजिस्टर में नहीं की जा रही थी और न ही विक्रय का मिलान बकाया स्टोर सामग्री से किया जा रहा था। अतः स्वतः स्पष्ट अपेक्षित अभिलेख के अभाव में विक्रय की गई सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख तैयार करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी सूचित किया गया कि सोसाईटी द्वारा वर्तमान में नस्ति कवर/फार्म की बिक्री नहीं की जा रही है जबकि उक्त सामग्री बहुत अधिक सामग्री स्टोर में अनुपयुक्त पड़ी है। अतः उपरोक्त सामग्री के विक्रय हेतु विशेष प्रयास किए जाएं ताकि सरकारी धन का सदुपयाग सुनिश्चित किया जा सके। इस सन्दर्भ म अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 कम्पयूटर प्रिंटर हेतु कार्टरेज की खरीद करने/कार्टरेज भरवाने के लिए किए गए व्यय के बारे में:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा समय–समय पर कार्टरेज की खरीद एवं कार्टरेज भरवाने हेतु व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित Maintenance Register का रख रखाव नहीं किया गया था जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सोसाईटी में स्थापित कौन–2 से कम्पयूटर प्रिंटर को भरवाया गया और किस प्रिंटर के लिए नया कार्टरेज क्रय किया गया। अतः सोसाईटी में स्थापित प्रिंटर के Maintenance Register का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए ताकि इस बारे स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 सरकारी खजाने में जमा करवाई गई राशि का मिलान न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान (आर0एल0ए0) कण्डाघाट द्वारा ट्रेजरी में चालानों द्वारा समय समय पर उपयोक्ता प्रभार का भाग जमा करवाया गया परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान इन जमा करवाई गई राशियो ंका मिलान सम्बन्धित विभाग से नहीं किया गया, जिसका मिलान अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 Inventory Register का संरक्षण न करना तथा स्टोर स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारेः—

(आर0एल0ए0) कण्डाघाट द्वारा विभिन्न स्टोर/स्टॉक की मदो ंव अन्य क्रय किए जाने वाले सामान को दर्ज करने क लिए विभिन्न रजिस्टरो ंका लेखा जोखा रखने के लिए (Inventory Register) तैयार नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि (आर0एल0ए0) के पास कुल कितने रजिस्टर है। अतः परामर्श दिया जाता है कि (आर0एल0ए0) के सभी स्टॉक रजिस्टरों व अन्य अभिलेखों को Inventory Register में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त पंजीकरण एवं लाईसैसिंग प्राधिकरण कण्डाघाट द्वारा उपयोक्ता प्रभार निधियों से क्रय की गई स्टोर/स्टॉक के सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के अनुसार स्टोर/स्टॉक की मदों का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त नियम के अन्तर्गत स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 विविधः—

केन्द्रीय ईकाई सोलन से समय—2 पर ई—गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) कण्डाघाट को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई—गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) कण्डाघाट से केन्द्रीय ईकाई सोलन को समय—2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई सोलन से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणीः**—यह अलग से जारी नहीं की गई।

20 **निष्कर्षः**— लेखों के रख—रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े आन्तरिक निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii) 18/2014खण्ड–1–2480–2484 दिनांक18.05.2015, शिमला–171009

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0)

3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03

4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02

5 श्री ललित अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009